



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ, 1942 (श०)

संख्या-142 राँची, शुक्रवार,

19 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

02 फरवरी, 2021

संख्या--5/आरोप-1-72/2018-1124 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रविन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के विरुद्ध कोडरमा-राँची भाया हजारीबाग-बरकाकाना न्यू बी0जी0 रेल लाईन निर्माण में अर्जित बन्दोबस्ती जमीन के मुआवजा भुगतान में बगैर कागजातों की जाँच एवं बिना स्थल जाँच किये हुए आवेदक के आवेदन तथा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के आवेदन में अंकित प्रतिवेदन के आधार पर गलत वंशावली प्रमाण पत्र संख्या-56, दिनांक 31.03.2016 निर्गत करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2648, दिनांक 21.06.2018 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-151/स्था0, दिनांक 31.05.2018 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित

बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, रामगढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAVINDRA KUMAR 111001165679	श्री रविन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री रविन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 एवं श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
